कार्यालय-प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक :- 2890 /डी/अ०नि०/23-24 दिनांक :- 28/3/24

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

प्रेरना कंस्ट्रक्शन्स प्रा0 लि0
डायरेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार मंगल,
खसरा नं0–496(पार्ट) से 505(पार्ट) एवं 522(पार्ट) मौजा मऊ
मुस्तकिल, वार्ड हरीपर्वत–2, तहसील व जिला आगरा।

विषयः– **खसरा नं0–496(पार्ट) से 505(पार्ट) एवं 522(पार्ट) मौजा मऊ मुस्तकिल, वार्ड हरीपर्वत–2, तहसील व जिला आगरा के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके शमन प्रार्थना–पत्र के क्रम में उपाध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नवत् शर्त/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 28-03-2024 को शमन स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

क्र0सं0	मद	धनराशि (रु0 में)
1.	शमन धनराशि	43,99,150.00
2.	लैबर सेस	6,37,868.00
3.	शेल्टर फीस	12,16,000.00

प्रतिबन्ध/शर्तें:–

1. भू–स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
2. स्वीकृत मानचित्र के समय लगायी गयी समस्त शर्तें आवेदक को मान्य होगी।
3. भवन का उपयोग शमन मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा, अन्यथा की दशा में शमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।
4. आरोपित शमन धनराशि निर्धारित समय में प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी, विलम्ब होने की स्थिति में नियमानुसार ब्याज देय होगा।
5. मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
6. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. शमन उपविधि की धारा–5 की उपधारा–2 के अन्तर्गत शमन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा होने पर ही शमन मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
8. शमन उपरान्त किसी भी विभाग एवं प्राधिकरण के कोई भी शुल्क की देयता बनती है, तो उसका भुगतान नियमानुसार करना होगा।

9. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

10. मानचित्र में लाल रंग से दर्शित अशमनीय भाग को धारा–27 के अन्तर्गत निर्माणकर्ता द्वारा स्वंय अपने व्यय पर निर्दिष्ट 30 दिन के अन्तर्गत हटाया जायेगा, अन्यथा नियम–07 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जायेगा एवं उस पर होने वाला व्यय की वसूली उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–40 के अनुसार भू–राजस्व बकाए की भॉति की जायेगी।

11. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू–स्वामी/निमार्णकर्ता का होगा।

12. शमन मानचित्र के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के निर्माणकर्ता द्वारा नहीं किया जायेगा।

13. भवनों का अध्यासन प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

14. प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर दी गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

अतः पत्र की तिथि से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त शमन धनराशि एवं लेबर सैस प्राधिकरण कोष में जमा कराकर, चालान प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने के उपरान्त ही प्राधिकरण स्तर से अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निर्धारित समयावधि में उपरोक्त धनराशि जमा न करने की दशा में नियमानुसार ब्याज देय होगा।

Santee
/3/24.

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा